BULANDSHAHR POLICE

दिनांक – 10 दिसम्बर, 2024 **थाना कोतवाली देहात**

लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 2000/- रुपये, दो फर्जी आधार कार्ड, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाडी व अवैध असलहा कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13-12-2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्तों को लूटे गये 2000/- रुपये, दो फर्जी आधार कार्ड व 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त गाडी व अवैध असलहा कारतूस सहित दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रामकुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम सीसई थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ।

बरामदगी -

1. 2,000/- रुपये नकद (लूट के)
2. 02 फर्जी आधार कार्ड
3. 03 मोबाइल फोन
4. 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस
5. 01 स्विफ्ट गाडी(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दिनांक 21.11.2024 की रात्रि में जनपद बुलन्दशहर के दुर्गापुरम निवासी एक व्यक्ति को लाल कुआं से बुलन्दशहर के लिए कार में बैठाकर उसके 10 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट कर गंगेरुआ हाइवे पर छोड़ दिया था। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 769/24 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त रामकुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 90/16 धारा 323,504 भादवि थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ।
2. मुअसं- 170/24 धारा 420 भादवि व 66 सी/डी आईटी एक्ट थाना बहजोई जनपद सम्भल।
3. मुअसं- 769/24 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ0नि0 विपिन कुमार
3. का0 रुप सिंह, का0 राजकुमार, का0 गौरव राणा

मीडिया सेल, बुलंदशहर